उ.म.रे. के सा.एवं सहा. नियम की संशोधन पर्ची सं.-79, दिनांक-12.04.2024 का राजभाषा में अनुवाद

(संदर्भ:(i) कार्यपालक निदेशक/संरक्षा(यातायात), रेलवे बोर्ड का पत्र सं.- 2023/सेफ्टी(ए एंड आर)/19/09, दिनांक 12.03.2024 एवं भारत का राजपत्र सं. 148, दिनांक 07.03.2024, मद सं.- 01, 02 एवं 03.

(ii) कार्यपालक निदेशक/संरक्षा(यातायात)/रेलवे बोर्ड का पत्र सं.- 98/सेफ्टी(ए एंड आर)/19/15, दिनांक 08.01.2024, मद सं.- 04

(iii) वरि. मंडल परिचालन प्रबंधक(सम.)/झाँसी का पत्र सं.- झाँसी/टी/एम.एच./पी.सी.ओ.एम./23, दिनांक 08.12.2023, मद सं.- 05)

01. वर्तमान सा.नि. 1.01(1) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है- (संशोधन पर्ची सं.- 79)

सा.नि. 1.01(1): इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (संशोधन) नियम, 2024 है ।

02. वर्तमान सा.नि. 9.04(क) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है- (संशोधन पर्ची सं.- 79)

सा.नि. 9.04(क): स्टेशन पर हस्तचालित या अर्ध-स्वचालित रोक (स्टाप) सिगनल-

(i) एक निकट (होम)

(ii) एक प्रस्थान (स्टार्टर)

03. वर्तमान सा.नि. 9.06(1) और (2) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 79)

सा.नि. 9.06: इकहरी (सिंगल) लाइन पर स्वचालित ब्लाक क्षेत्र में हस्तचालित रोक (स्टाप) सिगनल या अर्ध-स्वचालित रोक सिगनल को 'ऑफ' करने की शर्तें-

(1) निकट (होम) सिगनल - यदि कोई गाड़ी अंतिम (टर्मिनल) स्टेशन से भिन्न किसी अन्य स्टेशन के निकट (होम) सिगनल पर पहुँच रही है, तो वह सिगनल तब तक 'ऑफ' नहीं किया जाएगा जब तक कि लाइन, न केवल प्रस्थान सिगनल तक, बल्कि उससे आगे भी पर्याप्त दूरी तक साफ नहीं है और इसके अतिरिक्त स्वचालित कार्यप्रणाली के लिए आगे वाले ब्लॉक सेक्शन की दिशा विपरीत दिशा में नहीं बदल दी गई है ।

(2) अंतिम रोक (स्टाप) सिगनल - किसी गाड़ी के लिए, अंतिम रोक (स्टाप) सिगनल तब तक 'ऑफ' नहीं किया जाएगा जब तक यातायात की दिशा स्थापित नहीं हो गई है और लाइन अगले स्वचालित रोक (स्टाप) सिगनल तक साफ है या जब अगला रोक सिगनल हस्तचालित या अर्ध-स्वचालित रोक (स्टॉप) सिगनल है, तो उससे आगे पर्याप्त दूरी तक ।

04. स.नि. 4.19/2(क) के अंतर्गत नए मद को शामिल किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 79)

क्र.सं. (8) उपयुक्त हुक के साथ रस्सी की सीढ़ियाँ -- 2 जे.ई./कै.एवं वै.

05. नया स.नि. 5.23/3 को निम्नानुसार जोड़ा जाता है – (संशोधन पर्ची सं.- 79)

स.नि. 5.23/3: जब किसी रोड साइड स्टेशन (स्टेशनों) पर स्टेबल वाहन/लोड/गाड़ी को क्लियर करना हो, तब सहायक लोको पायलट, गार्ड, प्वाइंट्स मैन/ट्रैफिक स्टाफ द्वारा की जाने वाली कार्रवाई -

(i) सहायक लोको पायलट लोको से जुड़े 06 वाहनों के हैंडब्रेक को रिलीज करेगा और लोको में लगाए गए लकड़ी के पच्चरों (वेजेज) को हटाएगा ।

(ii) गार्ड, ब्रेक वैन और ब्रेक वैन से जुड़े 06 वाहनों के हैंडब्रेक को रिलीज करेगा ।

(iii) प्वाइंट्स मैन/ट्रैफिक स्टाफ स्थिर लोड में दोनों सिरों पर बंधी संरक्षा जंजीरों को खोलेगा और लकड़ी के पच्चरों (वेजेज) को हटाएगा ।

नोट: कोचिंग रेक के मामले में आगे और पीछे के एसएलआर के हैंडब्रेक को क्रमश: सहायक लोको पायलट और गार्ड द्वारा कसा/रिलीज किया जाएगा ।

सं.-याता/सामा./संशोधन पर्ची/22/20

दिनांक- 09.05.2024

शरत

(शरत सुधाकर चंद्रायन)

प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख कार्यकारी निदेशक (संरक्षा)/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली ।
2. सचिव महाप्रबंधक - महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ ।
3. प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी, प्रमुख मुख्य इंजी., प्रमुख मुख्य बिजली इंजी., प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजी., प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजी./उत्तर मध्य रेलवे/प्रयागराज ।
4. प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक- उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे ।
5. मंडल रेल प्रबंधक, प्रयागराज/झांसी/आगरा ।
6. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, प्रयागराज/झांसी/आगरा ।
7. प्राचार्य, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/चंदौसी/उत्तर रेलवे ।
8. प्राचार्य, बिजली प्रशिक्षण केंद्र/कानपुर/उत्तर मध्य रेलवे ।

शरत

(शरत सुधाकर चंद्रायन)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक